operating a superfast express train between Delhi and Visakhapatnam; and

(c) the steps proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) 8561/8562 Hazrat Nizamuddin-Visakhapatnam, Link Express running in conjunction with 7021/7022 Dakshin Express and 8543/8544 Sainta Express are already available between Delhi (Hazrat Nizamuddin) and Northern coastal districts of Andhra Pradesh.

(b) and (c) w.e.f. July, 94 Time Table for frequency of 8543/8544 Hazrat Nizamuddin-Visakhapatnam Samta Express is being increased from weekly to tri-weekly and the train is also being speeded up by about 4 his. to provide a fast service between Delhi and Visakhapatnam.

कर्णावही (एक्सप्रेस) और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का आनन्द रेलवे स्टेशन पर रुकना

7855. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अहमदाबाद और मुम्बई के बीच चलने वाली "कर्णावही एक्सप्रेस" और "शताब्दी एक्सप्रेस" रेलगाड़ियों को आनन्द रेलवे स्टेशन पर "स्टापेज" देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब से लागू किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्यपूर्ण नहीं है।

Payment of Dividend to the Central Exchequer

7856. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railways have refused to pay dividend to the Central Exchequer till its dues worth Rs. 600 crores against the Central power stations are reimbursed; and

(b) if so, what steps have been taken by the concerned electric supply undertakings to pay off the arrears?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वर्तमान रेलवे आरक्षण प्रणाली के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा

7857. **श्री रामजी लाल:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रेल टिकटों के आरक्षण की वर्तमान प्रणाली के कारण यात्रियों को होने वाली परेशानी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार पूछताछ के प्रयोजन हेतु उपलब्ध वर्तमान दूरभाष नंबर 343333 के अतिरिक्त दूरभाष नंबरों की सेवा को आरंभ करेगी;

(ग) क्या सरकार अति विशिष्ट व्यक्तियों के आरक्षण की सूची रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय से "चार घंटे" पहले निकालने के स्थान पर एक दिन पहले निकालेगी; और

(घ) यदि हां, तो यह कब से लागू होगा?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ): (क) और (ख) आरक्षण पूछताछ के प्रयोजन के लिए लगे फोन नं० 343333 के व्यस्त रहने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। टेलीफोन नं० 343333 की मौजूदा 12 लाइनों को बढ़ाकर 24 लाइनें करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) आपात कोटा, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों इत्यादि की आपात यात्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार पूर्वाह्न में छूटने वाली गाड़ियों के लिए आपात कोटा सामान्यतः एक दिन

पहले रिलीज किया जाता है और अपराह्न और रात्रि में छूटने वाली गाड़ियों का आपात कोटा उसी दिन रिलीज किया जाता है। इस प्रणाली में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of rail and road bridges at Chhitauni

7858. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what arc the details of the scheme pertaining to the construction of rail and road bridges at Chhitauni;

(b) what are the details of the progress made so far in regard to its construction work together with the details of the remaining work; and

(c) by when it is likely to become operational?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) The work is sanctioned on a cost sharing basis between the Railways, Ministry of Water Resources and the Governments of Uttar Pradesh and Bihar. The incremental cost of the road bridge is to be shared between Uttar Pradesh and Bihar.

(b) The guidebunds, approach banks and bridge substructure have been completed. The remaining work is girdering of the Railway bridge, track laying and linking and construction of road bridge super structure and construction of road proper.

(c) The progress of the work is being regulated owing to the other co-sharers not coming forth with their shares as per programme. If they come forth, the work would be completed by 31.12.95.

रेल विभाग द्वारा जारी मानार्थ पास

7859. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं, जिन्हें रेल यात्राओं के लिए मानार्थ पास जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रकार के पास जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

रेल मंत्री (श्री सी॰ के॰ जाफर शरीफ): (क) उन व्यक्तियों/संगठनों के नाम अनुपत्र में दिए गए हैं जिनको मानार्थ कार्ड पास जारी किए गए हैं जो 10.6.94 तक वैध थे। [देखिए परिशिष्ट 170, अनुपत्र सं॰ 149]। दो किस्म के कार्ड पास प्रदान किए जाते हैं यथा पहला दर्जा और दूसरा दर्जा। पहले दर्जे के पास से पासधारी पहले दर्जे और वा॰कु॰ शयनयान में यात्रा कर सकता है। कुछ मामलों में, मैरिट के आधार पर, पहला दर्जा वातानुकूल और/या राजधानी/शताब्दी एक्सप्रैस में यात्रा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उसी दर्जे में एक सहयोगी अथवा दूसरे दर्जे में एक परिचर को यात्रा करने की सुविधा भी मुहैया की जाती है लेकिन यह प्रत्येक मामले के औचित्य पर निर्भर करता है।

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा ऐसे कार्ड पास अखिल भारतीय स्वरूप के सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, खेलकूद तथा शैक्षणिक आदि कार्यकलापों के प्रति समर्पित प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रदान किए जाते हैं तथा ये प्रत्येक मामले के औचित्य और गुण-दोष पर आधारित होते हैं।

Purchasing Bilingual Computers

7860. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:
SHRI DIGVIJAY SINGH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any proposal/demand regarding purchase of computers having working capacity in both the English and Hindi languages is lying under Government's consideration/decision; and

(b) if so, what are the details thereof and the decision if any, taken/likely to be